कार्यालय संपत्ति अधिकारी,

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
संभाग क्रमांक - 1, जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स, न्यू मार्केट, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष - **0755-4204217** ई.मेल – **eedn1hbbpl@mp.gov.in**

मोहरबंद प्रस्ताव हेतु नियम एवं शर्तें –

1. ऑफरकर्ता एक से अधिक संपत्ति के लिए ऑफर दे सकते है परंतु प्रत्येक के लिए अलग से आवेदन पत्र एवं अन्य दस्तावेज उपयोग में लाना होगा। परंतु एक से अधिक भवन के लिए ऑफर स्वीकार होने के उपरांत ऑफर में प्रस्तावित इकाई क्रय न करने पर शर्त क्रमांक 09 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. केवल उच्चतम दरदाता की अमानत राशि रोकी जावेगी, शेष आवेदकों की राशि ऑफर खुलने के उपरांत 15 दिवस में वापस कर दी जावेगी। तथापि विशेष परिस्थिति में उक्त शर्त परिवर्तनीय होगी। इस हेतु संपत्ति अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
3. मोहरबंद प्रस्ताव हेतु बोर्ड के अन्य सभी नियम एवं शर्तें भी लागू होगी।
4. प्राप्त प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा अधिकतम 90 दिवस की अवधि में निर्णय लिया जाकर अवगत कराया जावेगा तब तक उच्चतम ऑफरदाता की धरोहर राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
5. प्रस्तावित संपत्ति की शेष राशि ऑफर स्वीकृत होने पर ऑफरकर्ता को 30 दिवस के भीतर जमा करानी होगी। तदोपरांत मण्डल परिपत्र क्रमांक 18/15 दिनांक 18.03.2015 के अनुसार कार्यवाही होगी। ऑफर स्वीकृति दिनांक से 120 दिवस में संपूर्ण राशि जमा न होने पर ऑफर स्वतः निरस्त होगा तथा जमा राशि बिना ब्याज वापस होगी।
6. प्रस्तावित संपत्ति की अवशेष राशि निर्धारित समयानुसार जमा न होने पर उच्चतम ऑफरकर्ता की धरोहर राशि में से 50 प्रतिशत के बराबर राशि कटौत्री कर शेष बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
7. प्रस्तावित संपत्ति का आधिपत्य उसके रजिस्ट्री के उपरांत दिया जाएगा। रजिस्ट्री का व्यय ऑफरकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

8. संपत्ति के आवंटन व आधिपत्य होने पर मण्डल/राज्य व केन्द्र शासन/स्थानीय निकाय द्वारा नियमानुसार संपत्ति कर भारित होने वाले समस्त कर अलग से आवंटी द्वारा देय होंगे।
9. संपत्ति लीज पर रहने की स्थिति में शासन व मण्डल द्वारा निर्धारित लीजरेंट आवंटी द्वारा देय होगा।
10. संपत्ति का जिस उपयोग हेतु आवंटन होगा उसका उपयोग उसी उद्वेश्य के लिए किया जायेगा, अन्यथा उपयोग वर्जित होगा।
11. ऑफरकर्ता द्वारा ऑफर प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तावित संपत्ति का निरीक्षण एवं आक्कलन करना अनिवार्य है। ऑफर प्रस्तुत होने के उपरांत संपत्ति यथास्थिति में हस्तांतरित होगी।
12. प्राप्त ऑफर ऑफसेट मूल्य से अधिक होने पर भी बिना कोई कारण बताये मण्डल को ऑफर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में कोई आपत्ति अथवा दावा मान्य नही होगा।
13. आवंटी के अनिवार्य रूप से परिसर/कालोनी की रहवासी कल्याण समिति की सदस्यता ग्रहण करनी होगी एवं इस हेतु सदस्यता फार्म तथा त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा।
14. संपत्ति परिसर में स्थित होने से सामूहिक हाउस कीपिंग एवं रख रखाव हेतु आवंटी से मण्डल द्वारा स्वीकृत ऑफर मूल्य का 2/3/5 प्रतिशत राशि एकमुश्त पृथक से अधिपत्य के पूर्व ली जायेगी। ऐसी प्राप्त राशि के ब्याज से सामूहिक हाउस कीपिंग एवं रख रखाव का कार्य रहवासी कल्याण समिति द्वारा निष्पादित होगा। यदि अर्जित ब्याज की राशि में रख रखाव का कार्य संपादित नही होता है तो परिसर में आवंटित संपत्ति के क्षेत्रफल के अनुपात में निर्धारित अतिरिक्त राशि प्रतिमाह आवंटी द्वारा रहवासी कल्याण समिति को देय होगी। यह राशि आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय रहेगी।
15. परिसर का सामुहिक रख रखाव हेतु प्राप्त राशि परिसर के आवंटियों की पंजीकृत समिति को परिसर के रख रखाव की जिम्मेदारी लेना अनिवार्य होगा तथा उस मद में जमा राशि समिति को सावधि जमा के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी। सामुहिक रख रखाव की व्यवस्था का पूर्ण दायित्व समिति का रहेगा तथा प्रत्येक आवंटी को पंजीकृत समिति द्वारा निर्धारित शुल्क नियमानुसार मांग अनुसार मासिक/वार्षिक देय होगा।
16. इस नियमों व शर्तो के अतिरिक्त मण्डल द्वारा जारी अन्य नियम एवं शर्ते लागू होगी।
17. बिजली कनेक्शन एवं जल कनेक्शन आवंटी को स्वयं के व्यय से संबंधित संस्था से लेना होगा व उनके नियमानुसार प्रभार एवं कर देय संबंधित संस्था को देना होगा।

18. आवंटी आवंटित क्षेत्र का रख रखाव एवं स्वच्छता का स्वयं प्रबंध करेगा।

19. आवंटी का क्षेत्र के रख रखाव हेतु फेसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी /पंजीकृत समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

20. आवंटित संपत्ति का हस्तांतरण मण्डल के प्रचलित एवं प्रभावी नियमों के अंतर्गत हो सकेगा।

21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मण्डल के परिपत्र क्रमांक 04 दिनांक 12.01.2015 के अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु ऑफरदाता स्वतंत्र होगा।

22. नियम एवं शर्ते हस्ताक्षर कर मोहरबंद प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

23. एकल ऑफर प्राप्त होने पर गुण/दोष के आधार पर भी निर्णय लिया जावेगा।

24. प्रकोष्ठ भवनों में नियमानुसार समान्य प्रभार शुल्क (सी.एस.सी.) पृथक से देय होगा।

संपत्ति अधिकारी
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल,
संभाग क्रमांक 1 भोपाल

आवेदक के हस्ताक्षर –
नाम – _____
पता – _____

दिनांक– _____
स्थान – _____

नोट– (1) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पृष्ठ भाग पर ऑफरदता अपना नाम एवं फार्म नंबर का उल्लेख अवश्य करें।
(2) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अलग से जमाकर्ता के पास जमा कर आवेदन पत्र में संलग्न प्रपत्र के अनुसार अभिस्वीकृति प्राप्त करें।